

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :- 04/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :- 2024/27

प्रार्थीया

ऐलची देवी पुत्री चिमाराम पत्नी
सदाराम, जाति-बिश्नोई, निवासी-
बी. ढाणी सांचौर, तहसील-सांचौर,
जिला-जालोर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

चिमाराम पुत्र फता, जाति-बिश्नोई
निवासी-सांचौर, जिला-जालोर वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :- 09.02.2024

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम दवे उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदाराम बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 10 व 12 लगायत 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 23.06.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा पुत्री हूं जो हिन्दू परिवार की रीति रिवाज से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 01 की वारिशान् हू। मुझ प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम स्व. फताराम था व स्व. फता के पिता का नाम स्व. पोला था। प्रथम सेटलमेंट में स्व. पोला के नाम की खातेदारी भूमि दर्ज हुई थी जिसके आधार पर पोला के फौत होने पर हरनाथ, काना, फता व फुआ के नाम से खातेदारी दर्ज हुई उसके अनुसार खेत खसरा संख्या 834 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 839 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840 रकबा 1.89 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 5.87 हैक्टेयर की द्वितीय सेटलमेंट से पुश्तैनी रूप से दर्जसुदा आई हुई थी। मुझ प्रार्थीया के दादा स्व. फता के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 1426/02.03.2015 के अनुसार फौतेदगी एवं हकतर्क होने पर उक्त खाते में फता पुत्र पोला के बजाय मुझ प्रार्थीया के पिता चिमाराम व काका केसाराम के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया था। अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा सांचौर के खाता संख्या 11 के खसरा संख्या 834 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 839 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840 रकबा 1.89 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 5.87 हैक्टेयर में से मुझ वादीया प्रतिवादी संख्या 01 चिमाराम के हिस्से में 0.73375 हैक्टेयर भूमि आई हुई थी जो भूमि हमारे पुश्तैनी खातेदारी की है व अविभाजित भूमि है जिस पर मुझ वादीया का 0.14675

सहायक न्यायाधीश-सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)



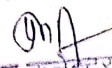
हैक्टयर भूमि पर जन्म से हक है जिसको अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 किसी को बैचान अथावा हस्तान्तरण नहीं करे, न किसी अन्य से करावे व मेरे भुगत भोग में दखलंदाजी नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावें तथा मूल वाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

2. इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये बावजूद इसके जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नहीं करने पर उक्त का जवाब अवसर बन्द किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1, 4 लगायत 10, 12 लगायत 16 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण को अस्थाई आदेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना उचित समझते हैं।

प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा कानूनीयां वारिश होने का कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी से संबंधित हक हकूकों का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात निर्धारण के पश्चात साक्ष्य सबूतों के आधार पर होगा। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने अनेक न्याय निर्णयन में यह निर्धारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदारों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम मामला उनके पक्ष में बखूबी सिद्ध होता है।

सुविधा का संतुलन :- प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी जो पुश्तैनी तथा प्रथम सर्वे के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तरजिवियों को प्राप्त होती आ रही है एवं उसी अनुसार प्रार्थीया ने अपना कब्जा होना कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार एवं उनका निरन्तर कब्जा है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति सिद्ध होता है।

अपूरणीय क्षति :- पूर्व विवेचित बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित हो चुके हैं। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदारों का कृषि आदान अनुदान, बैंक से लोन एवं कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार खातेदारों को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है, अतः यह बिन्दू बहक अप्रार्थीगण साबित होता है।


सहायक कमिशनर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

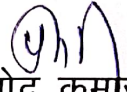
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदारों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधिसंगत नहीं समझते हैं।

:- आदेश :-

अतः विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध (साबित) होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

पत्रावली इसी मूताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)


उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)